53

संलग्नक–30

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज के अन्तर्गत मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र को वर्ष 1972 में आदेश संख्या 4887(2)/ 14–2–794 /72 दिनांक 2–9–72 द्वारा 6.394 हेक्टेयर वन भूमि, रिहन्द पावर स्टेशन से रेणुकूट प्लांट तक 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण करने हेतु लीज पर आवंटित किया गया था। उक्त वनभूमि का भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/04/2074/2000/एफ.सी./726 दिनांक 06.10.2000 एवं उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 774/14–2–2000–749/72 दिनांक 02.03.2001 द्वारा 25 वर्षो के लिये (दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक) शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 6.394 हेक्टेयर वनभूमि को हिण्डालको संस्थान द्वारा पुनः आगामी 25 वर्षो के लिये (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2047 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है । उक्त हस्तांतरित क्षेत्र के पट्टे के नवीनीकरण हेतु मेंसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त 6.394 हे0 के सापेक्ष दुगने अवनत वनक्षेत्र 12.7880 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण :–

कम सं0	रेंज का नाम	स्थल का नाम	सकल क्षेत्र (हे0 में)	शुद्ध क्षेत्र (हे0 में)
1	पिपरी	हाथीनाला वेस्टर्न क0नं0 1	15.4898	12.7880

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तैयार किये गये 10 वर्षीय मॉडल प्राक्कलन के अनुसार 13 हेक्टेयर अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि 13X135170=17,57,210.00 (रूपया सतरह लाख सतावन हजार दो सौ दस मात्र)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र